न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 190/09/टीआई

1. सागर मल आयु 45 वर्ष } पुत्रगण बोदूराम
2. भगवान सहाय आयु 43 वर्ष }
3. मूल चन्द आयु 41 वर्ष }
   जाति जाट निवासीगण चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

1. भानाराम पुत्र बोदूराम आयु 62 वर्ष जाति जाट निवासी दादीया (रामपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

mifLFkfr& 1- श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिह शेखावत वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक— 05.06.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि आराजियात खसरा नं. 536 रकबा 0.43 हे0, 537 रकबा 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.77 है0 तन ग्राम चारणवास प.मं. लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 आपस में सगे भाई है। आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 की शामलाती कृषि भूमियां ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ में अवस्थित खसरा नं. 536, 537 रकबा 1.77 है. व नवस1जित ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ में अवस्थित खसरा नं. 247, 248, 249, 250, 251 किता 5 कुल रकबा 2.89 है0 तथा ग्राम दादीया रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित खसरा नं. 318 ता 325, 321/2270, 329, 330, 332 ता 341, 344 ता 348 किता 25 कुल रकबा 9.77 है0 व खसरा नं. 195, 196, 197 किता 3 कुल रकबा 3.44 है0, खसरा नं. 1853 ता 1859, 1875 ता 1879 किता 12 कुल रकबा 5.67 है0 है। उक्त भूमियों बाबत आवेदकगण व अनावेदकग सं0 1 व अन्य भाई अर्जुनराम व गोपालसिंह ने आपसी सहमति व स्वीकृति से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

की उपस्थिति में बाहमी भाई बंटवारा दिनांक 30.11.99 को हो चुका है। जिसकी लिखावट भी उसी दिन लिखी जाकर सभी भाईयों व उपस्थित समाज के मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंगूठा करवाये गये। उक्त भाई बंटवारा से आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 व अन्य भाई गोपालसिंह व अर्जुनराम पूर्णतया प्रतिबंधित है। उक्त भाई बंटवारे के अनुसार दादीय रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमियां अनावेदक सं. 1 भानाराम व अर्जुनराम व गोपालसिंह के हिस्से में तथा ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ में अवस्थित भूमियां आवेदकगण के हिस्से में रखी गई तथा उसी अनुसार आपस में एक दूसरे को खातेदारी दुरूस्ती बाबत लिखावट तहरीर की जाकर आपसी सहमति व स्वीकृति के हस्ताक्षर अंगूठा करवाये गये। लिखावट बाहमी भाई बंटवारा दिनांक 30.11.99 की फोटो प्रति संलग्न आवेदन पत्र पेश है। आवेदकगण ने उपरोक्त लिखावट बाहमी बंटवारा दिनांक 30.11.99 की पालना में ग्राम दादीया रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमियों में अपने नाम दर्ज खातेदारी का हक त्याग पत्र दिनांक 23.01.09 को अपने भाई अर्जुनराम व गोपालसिंह के हक में पंजीबद्ध करवा दिया तथा अर्जुनराम व गोपालसिंह ने ग्राम चक कैलाश तहसील दांतारामगढ में अवस्थित कृषि भूमियों का बख्शीशनामा दिनांक 22.01.09 को आवेदकगण के हक में पंजीबद्ध करवा दिया। जिसके आधार पर ना.करण भरे जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है। हक त्याग पत्र दिनांक 23.01.09 व बक्शीशनामा दिनांक 22.01.09 की फोटो प्रतियां संलग्न आवेदन पत्र पेश है। आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं. 536, 537 रकबा 1.77 है0 तन ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ आवेदकगण व अनावेदक सं0 1 व अन्य भाई अर्जुनराम व गोपालसिंह ने शामलाती रूप से जब सभी भाई संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल रहते थे, सभी ने मिल कर संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आय से वर्ष 1983 में खरीदा, किन्तु उस समय आवेदकगण की आयु कम होने व अनावेदक सं0 1 परिवार के कर्ता खानदान होने की वजह से विक्रय पत्र अनावेदक सं. 1 के नाम तस्दीक करवा दिया गया। किन्तु उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त वर्ष 1983 से ही आवेदकगण का निरंतर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अनावेदक सं. 1 को भाई बंटवारा में ग्राम दादीया रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमियां दे दी गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 का ही कब्जा काश्त है। आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी गलत रूप से अनावेदक सं. 1 के अकेले के नाम होने की वजह से अनावेदक सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई है तथा अनावेदक सं. 1 जो कि दादीया रामपुरा में रहता है तथा वहीं पर अवस्थित भूमियों पर काबिज है। आवेदकगण के कब्जे काश्त की विवादित भूमि खसरा नं. 536, 537 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने तथा आवेदकगण को बलपूर्वक बेदखल कर स्वयं कब्जा करने की कुचेष्टा में लगा हुआ है तथा मौका पाकर विवादित भूमियों को बेचान व हस्तांतरण करने की कुचेष्टा में लगा हुआ है जिसका अनावेदक सं. 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर अनावेदक सं. 1 अपने कपटपूर्ण इरादों में कामयाब हो गया तो आवेदकगण को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षणि होगी जिसकी तलाफी कानून में किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है, सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से अपूर्तनीय क्षणि भी आवेदकगण को ही हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

यदि अनावेदक सं. 1 अपने कुउद्देश्य में सफल हो गया तो आवेदकगण को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार संभव नहीं है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदक सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि कृषि भूमि खसरा नं. 536, 537 कुल रकबा 1.77 है0 तन ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ पर आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने, बेचान व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने से बाज रहे तथा अनावेदक सं. 2 को पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख नहीं करें तथा अनावेदक सं. 3 को पाबन्द किया जावें कि विवादित भूमियों का राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत उपस्थित हुए व जवाब मय काउंटर आवेदन पेश कर बिन्दुवार तथ्यों का बिन्दुवार जवाब पेश कर काउन्टर आवेदन में निवेदन किया कि ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ की तन में कृषि भूमि ख.नं. 536 रकबा 0.43 है0 व 537 रकबा 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.77 है0 अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियां आवेदक सं. 1 भानाराम ने पूर्व खातेदार छीतर, किशना पिता रामधन जाति जांगिड़ (ब्राह्मण) से दिनांक 26.7.1983 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर वास्तविक एवं व्यावहारिक तौर पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी भानाराम अकेले के पक्ष में जरिये ना.करण सं. 194 दिनांक 24.9.1983 के द्वारा रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है जो आज भी बदस्तूर है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नं. 212 थे। आवेदकगण/अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि के उतरी व दक्षिणी दिशा के सींवा जोड़ काश्तकार है तथा भानाराम के सगे भाई भी है भानाराम की उक्त ,खरीदशुदा एवं खातेदारीशुदा भूमियों से इनका कोई हक हिस्सा सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त भूमियों को उसके सगे भाई होने की आड़ में हड़पने की दुर्भावना से विगत कुछ दिनों से आपस में साजकर ऐलानिया धमकी देना शुरू कर दिया है कि वादग्रस्त भूमियों से अपने बोरी बिस्तर उठाओं और चलते बनो ग्राम चारणवास (नाडा) की भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी शांतिप्रिय सेवानिवृत व्यक्ति है जो स्थायी रूप से पैत्रिक ग्राम दादीया रामपुरा में आवास निवास करता है तथा उक्त भूमियों को कभी स्वयं काश्त करता है तो कभी बांटे पर बता देता है। अर्थात् अस्थायी तौर पर ग्राम चारणवास (नाडा) की उक्त वादग्रस्त भूमि की सार संभाल करने से उक्त भूमियों को जबरन लाठी एवं पैसों की ताकत से सागरमल वगैराह हड़पने की कुयोजना बना रहे है जिसमें वे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति कानून में संभव नहीं है एवं उनके वैधानिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा इसलिए अप्रार्थीगण/अनावेदकगण सागरमल वगैराह को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब आवेदन मय काउंटर आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जाकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

काउंटर आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 536, 537 किता 2 कुल रकबा 1.77 है0 बाबत अनावेदकगण/अप्रार्थीगण सागरमल वगैराह को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी/आवेदक भानाराम की कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने, भूमियां खुर्द बुर्द करने, मौका स्थिति मं किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से मय नौकर परिवारजन तादौराने दावा बाज रहें। वकील प्रार्थीगण/जवाबदाता ने काउंटर आवेदन का बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन मय काउंटर आवेदन में निवेदन किया है कि कृषि भूमि ख.नं. 536, 537 रकबा 1.77 है0 तन ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 व अन्य भाई अर्जुन व गोपालसिंह ने शामलाती रूप से जब सभी भाई संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल रहते थे सभी ने मिलकर संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आये से वर्ष 1983 में खरीदा किन्तु उस समय आवेदकगण की आयु कम होने व अनावेदक सं. 1 परिवार में कर्ता खानदान होने की वजह से विक्रय पत्र अनावेदक सं. 1 के नाम तस्दीक करवा दिया गया किन्तु उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त वर्ष 1983 से ही आवेदकगण का निरंतर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त भूमियों में फसल की सिंचाई हेतु आवेदकगण ने अपने कुए ख.नं. 249 से पाईप लाईन भी जमीन में गाड रखी है जो मौके पर गडी हुई है। अनावेदक सं. 1 को भाई बंटवारे में ग्राम दादिया रामपुरा में अवस्थित भूमियां दे दी गई है जिस पर अनावेदक सं. 1 का ही कब्जा काश्त है अनावेदक सं. 1 का नाम उक्त भूमियों की खातेदारी में अंकित होने की वजह से आवेदकगण को वादग्रैस्त भूमियों के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है। जिसका अनावेदक सं. 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अनावेदक सं. 1 भाई बंटवारे हेतु की गई लिखापढी दिनांक 30.11.99 से पूर्णतया विबंधित है। काउंटर आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण के भाई बंटवारे के अनुसार प्राप्त हुई है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है भाई बंटवारा की लिखापढी दिनांक 30.11.99 के अनुसार अनावेदक सं. 1 को ग्राम दादिया रामपुरा की भूमियां मिली हुई है तथा हिन्दू संयुक्त परिवार की आय से यह भूमियां खरीदी हुई है लेकिन अनावेदक सं. 1 परिवार का कर्ता खानदान होने से विवादित भूमि की रजिस्ट्री अपने अकेले के नाम करवा ली। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा गलत खातेदारी की आड़ में अनावेदक सं. 1 विवादित भूमियों का बेचान/हस्तांतरण किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए तादौराने दावा अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत अनावेदक सं. 1 ने जवाब आवेदन व काउंटर आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि एवं अनावेदक सं. 1 ने बहस के दौरान आवेदन व काउंटर आवेदन के तथ्यों को प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थी को ही होगी। अतः प्रार्थी का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा मय विशेष खर्चे से निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 का काउंटर आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जावें कि विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 536, 537 किता 2 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो लिखापढी दिनांक 30.11.99 को भाई बंटवारे की बताकर आये है वह केवल सादे कागज पर की गई है जो न्यायालय में दस्तावेज के रूप में ग्राह नहीं है तथा अन्य जो दस्तावेज पेश किये गये है उसमें अनावेदक सं. 1 के हिस्से में किसी भी भूमि में से नहीं दी गई। वाके ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ की जमाबंदी संवत् 2062–65 खाता सं. 80 ख.नं. 536, 537 किता 2 कुल रकबा 1.77 है. की खातेदारी भानाराम के नाम से दर्ज है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात उनके कब्जे काश्त की जा रही है। इसके विपरीत वकील अनावेदक सं. 1 के इस कथन से सहमत है कि विवादित आराजियात अनावेदक सं. 1 की खातेदारी की भूमियां है तथा रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अनावेदक सं. 1 के पक्ष में है तथा रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी अनावदेक सं. 1 को होगी। इसलिए काउंटर आवेदन स्वीकार योग्य हैं अतः आवेदकगण का आवेदन स्थगन खारिज किया जाता है तथा अनावेदक सं. 1 का काउन्टर आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात खनं. 536, 537 किता 2 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ